Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 3 | ISSUE : 3 | MARCH 2017

मगध कालीन साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्थाएं एवं उनका अंतरराष्ट्रीय संबंध : एक सूक्ष्म विश्लेषण

डॉ संतोष कुमारी [1]

[1] व्याख्याता (पे. बैन्ड IV), इतिहास, श्री.बी.आर मिर्धा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नागौर, राजस्थान।

ABSTRACT

भारत में प्राचीन काल से ही शासन व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था ऐसा प्रतीत होता था मानव सभ्यता के विकास के साथ ही शासन एवं प्रशासन पद्धति का विकास संभव है। भारतीय सभ्यता के प्रारंभिक रूप में वैदिक काल में संपूर्ण प्रशासन व्यवस्थाओं का वातावरण देखने को मिलता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया युग बदला वैसे-वैसे प्रत्येक वस्तु स्थिति में परिवर्तन आने लगा। मौर्य काल तक आते-आते प्रशासनिक पद्धति लगभग अपने चरमोत्कर्ष पर आ गई थी। वैदिक काल में राजा के अधिकारी पाए जाते थे। जिनमें कुछ राजकर्ता और प्रशासन अधिकारी होते थे। जैसे रथकार, मुखिया, सेनापति आदि। तैत्तिरीय संहिता एवं ब्राह्मण के अनुसार रत्नियों का उल्लेख भी विभिन्न प्रकार से परिलक्षित होता है। मगध कालीन शासन व्यवस्थायें अत्यधिक परिपुष्ट थीं।

प्राचीन भारत में अनेक छोटे-छोटे राज्य थे जिन्होंने बाद में अपना आकार एवं स्वरूप बड़ा कर लिया या तो ये बड़े राज्य हो गये, या फिर साम्राज्य कहलाने लगे। इन राज्यों के बीच आपस में पारस्परिक सम्बन्ध था। यह सम्बन्ध शान्ति एवं युद्धकाल दोनों समय रहता था। इन्हीं सम्बन्धों को हम अन्तर राज्य सम्बन्ध कह सकते हैं। ये सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध नहीं कहे जा सकते। क्योंकि वे सभी राज्य एक ही देश या राष्ट्र की इकाई होते थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ बड़े राज्यों की स्थापना हुई। बौद्ध ग्रन्थों में ईसा से लगभग छः शताब्दी पूर्व सोलह महाजनपदों का उल्लेख मिलता है किन्तु वे भी आज की दृष्टि से आकार में बहुत ही छोटे 'थे' बड़े-बड़े यज्ञों तथा अश्वमेध राजसूय और वाजपेय आदि ने इनके बीच सम्बन्धों को और विकसित एवं प्रगाढ बनाने में भारी योगदान दिया है। ऐतिहासिक काल में भारतीय राजाओं ने यवन ग्रीक राज्यों से भी सम्बन्ध स्थापित किया।

Keywords: मगध, साम्राज्य, विकास, सेना, पदाधिकारी, राजा, प्रजा, ईकाई, शासन.

मौर्य सम्राज्य की स्थापना 320 ई०पू० में हुई थी। इस समय में प्रशासन पद्धति ने लगभग हर क्षेत्र में अपना सर्वांगीण विकास कर लिया था। इस काल में लोकप्रिय सभाओं का कोई चिन्ह नहीं मिलता वरन उसमें 'केन्द्रिय'[1], 'प्रान्तीय' और जिला शासन[2] तथा आय-व्यय न्याय[3]' आदि प्रशासन का बड़ा ही विस्तृत तंत्र मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि इस काल से पूर्व इतना विस्तृत प्रशासन विभाग कभी नहीं था। गुप्त साम्राज्य के समय मौर्यकाल के प्रशासन विभाग का थोड़ा विस्तृत रूप दिया गया था लेकिन फिर उसके बाद कोई विकास न हो सका। हाँ यह स्वीकारा जा सकता है कि इनके विभागों में कभी बढोत्तरी होती तो कभी संख्या घट जाती थी।

पदाधिकारियों का वर्गीकरण-

कार्यों के आधार पर प्राचीन भारत, मगध साम्राज्य के प्रशासन के मुख्य विभागों को बाँटा जाता था। प्रारम्भिक काल में छोटे राज्यों में प्रशासन के विभागों की संख्या बहुत ही कम थी। विष्णु स्मृति में खान, चुगी, नौका और हाथी केवल इन्हीं चार विभागों को उल्लेख है। प्रागैतिहासिक कश्मीर राज्य में सात विभाग थे अशोक के पुत्र जलौक ने उनकी संख्या बढ़ाकर अट्ठारह कर दी थी। लगभग नवम शताब्दी के बाद ललितादित्य ने इनकी संख्या बढ़ाकर तेइस कर दी थी[4]। रामायण में अट्ठारह विभागों को उल्लेख है। महाभारत में भी अट्ठारह विभागों का वर्णन किया गया है[5]। लेकिन इन विभागों का नाम नहीं दिया गया है। तैतरिय संहिता एवं तैतरिय ब्राहमण में केवल आठ मुख्य अधिकारियों का उल्लेख है। जो पृथक-पृथक विभागों के उच्चतम अधिकारी थे। पंचविश ब्राह्मण में भी आठ वीर उल्लिखित है जिसमें पुरोहित, महिषी, सुत. ग्रामणी, क्षत्र, संग्रहीता आदि को सम्मिलित किया गया है[6]।

प्रशासनिक अधिकारी –

प्रशासन से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अनेक श्रेणियां थी। प्राचीन काल में प्रशासनिक अधिकारियों में भी कई वर्ग होते थे। मेगस्थनीज का वर्णन करते हुए स्ट्रैबों ने मौर्यकालीन प्रशासन पर प्रकाश डालते हुए उनके अधिकारियों को तीन भागों में बाँटा है जिसमें नगर अधिकारी, ग्रामीण अधिकारी और सैनिक अधिकारी होते है समीक्षा के तौर पर यह कहा जा सकता है कि शासनाधिकारियों में सबसे बड़ा मंत्री परामर्श दाता होता था उसके बाद अगात्य और विभिन्न विभागों के अधीक्षक केन्द्रिय अधिकारियों के नीचे प्रान्तीय फिर जिला, नगर और ग्राम अधिकारी होते थे।

मंत्रियों के अधिकार एवं कर्तव्य-

मगध के केन्द्रीयकरण के प्रयासों को अन्ततोगत्वा मौर्य शासकों के नेतृत्व में सफलता प्राप्त हुयी। इस विशाल साम्राज्य को मौर्य शासकों ने अपने प्रशासनिक संगठन के माध्यम से संचालित करने का प्रयास किया, जो उपर से केन्द्रीयकृत परन्तु क्रमशः छोटी इकाईयों में विभक्त भी था।

प्रान्तीय शासन-

मगध में मौर्य साम्राज्य शासन की सुविधा के लिए कई प्रान्तों में विभाजित था। प्रान्त विभिन्न आहारों या विषयों में विभाजित होते थे और इनके लिए अलग-अलग स्थानीय अधिकारी नियुक्त होते थे[7]।

बौद्ध साहित्य के द्वारा शासन के विभिन्न भागो यथा केन्द्रीय, प्रान्तीय एवं स्थानीय इत्यादि की सूचना प्राप्त होती है, जिनमें शासन को सुदृढ एवं सुनियोजित रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रशासनाधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी थी। जिनके किया-कलापों की देखभाल गुप्तचरों द्वारा की जाती थी।

अशोक के अभिलेखों में मौयों के चार प्रांतों का उल्लेख है।

1. गान्धार (उत्तरापथ) इसकी राजधानी तक्षशिला थी।
2. उज्जयिनी
3. कलिंग इसकी राजधानी तोसलि थी।
4. दक्षिणप्रान्त इसकी राजधानी स्वर्णगिरि थी।
5. गृहप्रान्त

ग्राम और नगर व्यवस्था –

प्रान्त और जनपदों के साथ 'ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रांतो और जनपदों में स्थित नगरों के प्रशासन के लिए समुचित व्यवस्था थी। मगध साम्राज्य के मौर्य युग में नगरों की संख्या बहुल्य थी और नगरों की बहुल्यता का कारण था उद्योग और व्यापार की वृद्धि, सामरिक आवश्यकता के लिए जगह-जगह स्कन्धावार के निर्माण की आवश्यकता हुआ करती थी। स्कन्धावार नगर के रूप में बनाये जाते थे इसमें राजगृह, मंत्रीगृह, प्रशासनिकगृह, जनसामान्य के गृह और पण स्थान आदि की व्यवस्था रहती थी साम्राज्य के विभिन्न भागों व सीमान्तों पर सामरिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से दुर्गा का निर्माण किया जाता था।

ग्राम व्यवस्था-

'ग्राम' प्रारम्भ से ही शासन व्यवस्था का केन्द्र बिन्दू और राज्य की सबसे छोटी इकाई रहा है। वैदिक युग से ही ग्राम जनपदों की महत्वपूर्ण इकाई थे। वैदिक मंत्रो में ग्रामो की सम्बृद्धि की प्रार्थना की गयी है, किन्तु नगरों या पुरों का विशेषउल्लेख नहीं मिलता[8]। प्राचीन युग मे प्रशासन का आधार ग्राम ही थे। ग्राम का मुखिया 'ग्रामणी' कहा जाता था। ग्रामणी को राजकृतः भी कहा गया है। जिससे इसका महत्व प्रकट होता है।

जातक कथाओं मे भी ग्रामों के महत्व का उल्लेख मिलता है। ग्राम का प्रमुख व्यक्ति ग्रामभोजक कहलाता था। जिसे ग्रामिनी की संज्ञा भी दी गयी थी ग्राम भोजक को राजा की तरफ से प्रशासकीय और न्याय सम्बन्धित अधि कार प्राप्त थे। वह कठिन एवं जटिल मुकदमों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के झगड़ों का निपटारा मुखिया ही करता था। मुखिया की आज्ञा न मानना दंडनीय था चूंकि न्याय का अन्तिम अधिकारी राजा स्वयं होता था, इसलिए दिल मुकदमों का फैसला मुखिया न कर के राजा स्वय किया करता था।' अर्थशास्त्र में भी ग्राम शासन व्यवस्था की इकाई मानी गयी है।

बहुत से गाँवों को मिलाकर जनपद बनता था[9]।

स्थानिक –

गांवों का दूसरा प्रमुख अधिकारी स्थानिक था। आठ सौ गांवों के केन्द्र को स्थानीय कहा जाता था। इसी स्थानीय, नामक केन्द्र का प्रमुख अधिकारी "स्थानिक" होता था। स्थानिक नामक अधिकारी के विषय में कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जनपद के चौथे की भाग की देखरेख स्थानिक को करनी चाहिये। स्थानिक के ऊपर समाहर्ता होता था जो पूरे जनपद के कार्यों को सम्पन्न करता था[10]।

सर्वोच्च नायक-

सेना का सर्वोच्च नायक राजा होता था क्योंकि प्राचीन भारत में राजा को प्रजा का सेवक' तथा उसके हितों का थाती भी कहा गया है वी.पी. सरकार के एक टिप्पणी के अनुसार राजा का पद सार्वजनिक पद था और राजा की महानता उसके सर्वोच्च पद के कारण थी । अन्यथा राजा भी अन्य मनुष्यों की भाँति ही होता था। कौटिल्य के अनुसार राजा ही सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था उसे प्रतिदिन सेना के अंगों का निरीक्षण करना होता था[11]।

सेनापति (कमाण्डर इन चीफ) –

मगध साम्राज्य में मौर्यकाल तक सेना का मुख्य अधिकारी सेनापति ही रहा। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसे दो नामों से इंगित किया है। एक जगह सेनापति को कमाण्डर इन चीफ के रूप में प्रस्तुत किया है और दूसरी जगह इन्होंने सेनापति का स्थान पदिक और नायक के बीच में रखा है। इस तरह के वर्णन से एक भ्रम होता है। लेकिन यह भ्रम उस वक्त दूर हो जाता है जब इसे (सेनापति) अट्ठारह तिर्थो में स्थान दिया गया और यह राजा, मंत्री व पुरोहित के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है। वेतन के मामले में लगभग एकरूपता देख गयी। इससे यह प्रभावित हो जाता हैकि सेनापति को ही कमाण्डर इन चीफ के नाम से जाना जाता है। समयानुसार यह नाम बदलता भी रहा। कमाण्डर इन चीफ को ही प्रधान सेनापति, सर्व सेनापति महासेनापति एवं महाबलाधिकृत आदि नामों से सम्बोधि | किया गया। मेजर आर० सी० कुलश्रेष्ठ ने लिखा है कि शकों की सेना का प्रमुख पदाअधिकारी महासेनापति कहलाता था। मौर्य राजा वृहद्रथ की सेना का प्रधान नायक पुष्पमित्र शुंग प्रधान सेनापति था। सेनापति का स्थान भारतीय सेना में प्रमुख रहा है[12]।

योग्यता-

आचार्यों के अनुसार सेनापति को बौद्धिक किया कलाप में निपुण होना चाहिए। बौद्धिक गुणों का समावेश उसके अन्दर इतना हो कि वह किसी विपदा का तुरन्त सामना, नई योजना के अनुसार कर सके। वह बौद्धिक कियाओं में आगे-पीछे हटने की कला तथा व्यूह रचना आदि का जानकार हो। वह सही ढंग से सैनिकों पर नियन्त्रण कर सके तथा सैनिकों को सही दिशा निर्देश दे सके। वह युद्ध कला तथा शस्त्रास्त्र का अच्छा ज्ञाता हो। महाभारत के उद्योग पर्व में भीष्म ने सेनापति पद को शिकार करने के उपरान्त युद्ध परिषद में अपना भाषण देकर सेनापति के योग्यता पर विशेष प्रकाश डालता है[13]।

अन्य सैनिक पदाधिकारी एवं असैनिक पदाधिकारी –

अन्य सैनिक पदाधिकारियों का वर्णन कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में प्रधान सेनापति एवं राजकुमार के बाद उल्लिखित किया है।

1. **अश्वाध्यक्ष-** अश्वसेना के अध्यक्षों को अश्वों के नस्लों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए अश्व सेना के सम्पूर्ण कार्य का उत्तरदायित्व इसी के उपर रहता
2. **हस्त्यध्यक्ष-** हस्त सेना योग्य हाथियों को पकड़वाने उन्हें सही ढंग से प्रशिक्षित करने आदि सैनिक कार्यवाही का उत्तरदायित्व हस्त्यध्यक्ष के उपर रहता है। इसे शस्त्रों के प्रयोग एवं हस्तयुद्ध का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
3. **रक्षाध्यक्ष-** सैनिक कार्यों में उपयोगी रथों की पूर्ण जानकारी रखना यौद्धिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त शस्त्रास्त्रों के साथ प्रशिक्षित कराना आदि कार्य का उत्तरदायित्व स्थाध्यक्ष रखता है।
4. **पत्याध्यक्ष -** पैदल सेना से सम्बन्धित यौद्धिक सक्रियाओं का पूर्ण ज्ञाता याध्यक्ष को होना चाहिए।
5. **आयुधागाराध्यक्ष-** युद्धोपयोगी सामग्री तैयार करवाने दुर्ग का निर्माण विध्वंसक शस्त्रास्त्रों का निर्माण एवं मण्डारण आदि का उत्तरदायित्व अयुधागाराध्यक्ष पर होता था यह शस्त्रास्त्रों के गुणों का पूर्व रूपेण ज्ञाता होता था[14]।
6. **दौवारिक-** नगर द्वारा रक्षा का मुख्य अधिकारी
7. **अन्तर्विशिक-** अन्तःपुर की रक्षा का मुख्य अधिकारी आदि सैनिक अधि कारियों का उल्लेख किया गया है।

असैनिक पदाधिकारी –

असैनिक पदाधिकारी ऐसे पदाधिकारी होते थे जो सांग्रामिक कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में सहायक बल का कार्य कर रहे थे ये असैनिक अधिकारी विष्टि बल चरों के पदाधिकारी, चिकित्सक अधिकारी आदि से सम्बन्धित थे। सम्भवतः पुरोहित को भी इसी वर्ग में माना जा सकता है। युद्ध परिषद के सचिव भी इस कम में जुड़े हुए है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मार्ग निर्माता कुंए खोदने वाले शिविर बनाने वाले आदि कर्मचारियों के पदाधिकारियों को प्रशस्त कहा है। जो असैनिक पदाधिकारी है। इस तरह भोजन बनाने वाला महानस ध्वजवाहक, बाजे बजाने वाले सरदार आदि सभी असैनिक कर्मचारी ही माने जाते है ।

अन्तर राज्य सम्बन्धों की मूल धारणाएं -

भारत में छोटे-छोटे राज्य थे बाद में अपना आकार एवं स्वरूप बड़ा कर लिया या तो ये बड़े राज्य हो गये, या फिर साम्राज्य कहलाने लगे। इन राज्यों के बीच आपस में पारस्परिक सम्बन्ध था। यह सम्बन्ध शान्ति एवं युद्धकाल दोनों समय रहता था। इन्हीं सम्बन्धों को हम अन्तर राज्य सम्बन्ध कह सकते हैं। ये सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध नहीं कहे जा सकते क्योंकि वे सभी राज्य एक ही देश या राष्ट्र की इकाई होते थे[15]। उत्तर वैदिक काल में कुछ बड़े राज्यों की स्थापना हुई। बौद्ध ग्रन्थों में ईसा से लगभग छः शताब्दी पूर्व सोलह महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किन्तु वे भी आज की दृष्टि से आकार में बहुत ही छोटे थे[16]। बड़े-बड़े यज्ञों तथा अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय आदि ने इनके बीच सम्बन्धों को और विकसित एवं प्रगाढ़ बनाने में भारी योगदान दिया है[17]। ऐतिहासिक काल में भारतीय राजाओं ने यवन ग्रीक राज्यों से भी सम्बन्ध स्थापित किया।

प्राचीन भारत में अन्तरराज्य सम्बन्धों के विकास के सम्बन्ध में श्री हरी लाल चटर्जी ने लिखा है कि प्राचीन भारत में अन्तर्राष्ट्र सम्बन्धों का विकास कई खण्डों में विभाजित होकर हुआ है। प्रथम खण्ड में उन्होने प्रारम्भ वेदों से किया. वैदिक काल में अनेक जनजातिय राज्य थे जिसका आपसी सम्बन्ध एक स्तर को बनाये हुए था इन राज्यों के मध्य युद्ध एवं शान्ति दोनों हुआ करता था[18]।

पर राज्य विभाग तथा कूटनीतिक सेवा –

मौर्य काल से पूर्व पर राज्य से विभाग का उल्लेख एकदम नहीं मिलता। क्योंकि वैदिक काल की जनता जनों में विभाजित थी जिससे उनका आपसी सम्बन्ध एक दूसरे से जुटा हुआ था। जब शनै-शनै ये जन अलग-अलग राज्य की स्थापना कर लिए तब अन्तर राज्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिए इस विभाग की आवश्यकता पड़ी। यूनानी शासक सेल्यूकस और चन्द्र गुप्त की सन्धि के पश्चात मेगस्थनीज सेल्यूकस की ओर से राजदूत के रूप में चन्द्र गुप्त के राज्य में रहा। यही से पर राष्ट्र विभाग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

पर राष्ट्र विभाग दूसरे राष्ट्रों से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए स्थापित किया जाता था। राजदूत को अपने राष्ट्र से अनेक अधिकार प्राप्त थे। वह आवश्यकतानुसार अपनी निर्धारित नीतियों का संचालन तो करता ही था, साथ ही साथ शत्रु राष्ट्र की गुप्त सूचनायें भी एकत्रित करता था। इस गुप्त सूचनाओं को एकत्रिकरण करने के लिए यह चाहे तो गुप्तचर नियुक्त कर सकता था, यह अपना भेष बदल कर भी गुप्त सूचनाएं प्राप्त करता था। इस सभी कार्यों के पीछे पर राष्ट्र विभाग का नियन्त्रित हाथ रहता था। प्राचीन काल की इस व्यवस्था का आधुनिक परिवेश में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित करने के लिए विदेश विभाग का निर्माण किया गया है।

कौटिल्य द्वारा मगध के राजनीतिक विकास में सहायक अंग-

मगध भारतीय इतिहास का एक सुपरिचित अति प्राचीन नाम है। वेदों से लेकर पुराणों तक सर्वत्र मगध भूमि की चर्चाए उल्लिखित हैं। पुराणों से यह भी विदित होता है कि महाभारत युद्ध से पूर्व मगध में वृहद्रथों का राज्य स्थापित हो चुका था और चेदि नरेश उपरिचर के पुत्र वृहद्रथ सर्व प्रथम मगच नरेश की उपाधि से विभूषित भी हो चुके थे। इनके पुत्र जरासन्धि और पौत्र सहदेव महाभारत युद्ध के समकालीन व्यक्ति थे। इनकी तेइसवीं पीढ़ी के बाद मगध के राज सिंहासन पर अवन्ति नरेश चन्द्र प्रद्योत का अधिकार हुआ तदन्तर गिरिव्रज का शिशुनाग वंश मगध पर अधिष्ठित हुआ जिसके उत्तराधिकारियों की ऐतिहासिक परम्परा है। शिशुनाग, काकवर्ण, क्षेत्रधर्मन, छत्राजीत और बिम्बिसार इनमें बिम्बिसार ही सर्वाधिक प्रतापी राजा था। जो तीर्थंकर महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध का समकालीन था।

बिम्बिसार से मगध राजवंश की परम्परा क्रमशः अजात शत्रु दर्शक, उदयाश्व (उदायी) नन्दि वर्धन तक पहुंच कर अन्त में महानन्दि के हाथों में आयी। महानन्दि इस वंश का अन्तिम एवं महाबलशाली सम्राट हुआ जिससे एक शुद्रा स्त्री द्वारा नन्द नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी शुद्रा पुत्र नन्द ने मगध की राजगद्दी पर नन्द वंश को प्रतिष्ठित किया था ।

निष्कर्ष :-

सार रूप में कहा जा सकता है कि मगध कालीन साम्राज्य स्वयं में अत्यधिक विस्तृत और समृद्धिशाली शासनकाल था । उस समय में व्याप्त समस्त भौगोलिक साधन मगध के उज्जवल

भविष्य की ओर संकेत करते हैं । उसके उचित प्रयोग कर्ता के रूप में उसे बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक एवं पुष्यमित्र जैसे महत्वाकांक्षी शासक प्राप्त हुए । जिन्होंने इन संसाधनों के उचित और सफल प्रयोग से अपने शासन का प्रचार और प्रसार किया। भू राजनीतिक दशा की दृष्टि से भी अन्य राज्यों की अपेक्षा मगध अपने आप में राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और प्रशासनिक रूप से अत्यधिक सुव्यवस्थित साम्राज्य रहा। ब्राह्मण धर्म की रूढ़िवादिता एवं अन्धविश्वासों का खण्डन कर समाज में नयी धार्मिक चेतना उत्पन्न करने वाले बौद्ध एवं जैन धर्म का मगध वासियों ने हृदय से स्वागत किया जिसमें योग्यता व्यक्ति का माप दण्ड था. यहां नापिक पुत्र भी राजपद प्राप्त कर सकता था नगर शोभनीय का पुत्र युवराज कहला सकता था यवन भी प्रान्तीय शासक हो सकते थे। जहां बिम्बिसार ने समसामयिक महत्वपूर्ण राजवंशो के साथ मधुर वैवाहिक एवं राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित कर राज्य को सुदृणता प्रदान की. वहीं आजतशत्रु साम्राज्य विस्तार में रक्त सम्बन्ध को भी महत्व नही देता था। इन दोनो प्रारम्भिक शासकों के प्रयास के सम्बन्ध में वाशम महोदय का कथन है कि दोनो शासको को साम्राज्य निर्माण की प्रेरणा इरान से प्राप्त हुआ जहां साईरस बिम्बिसार से मात्र 16 वर्ष पूर्व शासक हुआ था यह स्वीकार नही किया जा सकता है कि मगध के शासक उन घटानाओं से अनभिज्ञ थे। जो उनकी उत्तरी पश्चिमी सीमा पर घटित हो रही थी हम विश्वास करते है कि उनकी साम्राज्यवादी नीतियों में इरानियों के उदाहरण से कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त किये थे। इसके अतिरिक्त बिम्बिसार एवं अजातशत्रु को सुनीथ जैसा सेनापति तथा वत्सकार जैसा मंत्री मिला। उपर्युक्त वैवाहिक सम्बन्धों के आधार पर मित्र बने । ये पड़ोसी राज्य मगध के साम्राज्य प्रसार में बाधक न बन सके। इस तरह काशी पर शान्ति पूर्वक एवं अंगपर बलात अधिकार करके मगध के साम्राज्य विस्तार की ऐसी प्रक्रिया प्रारम्भ की जिसका अन्त अशोक के कलिंग विजय के पश्चात तलवार म्यान में रख देने के पश्चात ही सम्भव हो सकी। इतिहास कारों के विवरण के सिहावलोकन से स्पष्ट होता है कि तत्तकालीन पश्चिमोत्तर भारत की परिस्थितियां किसी भी विदेशी आक्रमण के लिए सर्वथा अनुकूल थी।

REFERENCES

1) अर्थशास्त्र – कौटिल्य, 2/10

2) अर्थशास्त्र – कौटिल्य, 2/36

3) अर्थशास्त्र – कौटिल्य, 2/ 5

4) राजतरंगिणी - 1/118-20, 4/141

5) महाभारत – 4 / 5 / 38

6) भारतीय संस्कृति - शिवदत्त ज्ञानी, पृष्ठ- 189

7) मौर्य साम्राज्य का सांस्कृतिक इतिहास - भगवती प्रसाद पांथरी, पृष्ठ- 111

8) प्राचीन भारतीय शासन पद्धति - सदाशिव अलतेकर, पृष्ठ- 168

9) मौर्य साम्राज्य का इतिहास – सत्यकेतु विद्यालंकार, पृष्ठ- 229

10) मौर्य साम्राज्य का इतिहास – सत्यकेतु विद्यालंकार, पृष्ठ- 233

11) अर्थशास्त्र- कौटिल्य, 1/19

12) भारतीय सैन्य विज्ञान - मेजर आर. सी. कुलश्रेष्ठ , पृष्ठ- 275

13) महाभारत – उद्योगपर्व, 165/ 8- 10

14) अर्थशास्त्र- कौटिल्य, 49 /18

15) प्राचीन भारतीय शासन पद्धति - अनंत सदाशिव अलतेकर, पृष्ठ- 222

16) प्राचीन भारतीय शासन पद्धति - अनंत सदाशिव अलतेकर, पृष्ठ- 222

17) रघुवंश – कालिदास, 4 / 43

18) इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल रिलेशन इन एसियेन्ट इंडिया - हरिलाल चटर्जी, पृष्ठ - 9-12

---

1) प्राचीन भारत में कृषि, वाराणसी 1980 ई०

2) प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, दिल्ली 1975 ई०

3) प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास, प्रथम संस्करण, नई दिल्ली 1986 ई०

4) प्राचीन भारत पटना

5) भारतीय संस्कृति गोरखपुर, 1959

6) प्राचीन भारत का इतिहास, द्वि० सं०, दिल्ली 1984

7) प्राचीन भारतीय संस्कृति, कला, राजनीति धर्म तथा दर्शन, इलाहाबाद 1980

8) मौर्य साम्राज्य का सांस्कृतिक इतिहास, प्रथम संस्करण, लखनऊ 1972 ई०

9) अशोक के अभिलेख, प्रथम संस्करण, ज्ञान मण्डल वाराणसी, 1965

10) प्राचीन भारत का इतिहास, द्वि०संस्करण